

07/07/22

पत्रावली पत्र हुआ। पितासम आधिकारी  
दीगज कार्यों में व्यस्त है, जिससे इत्तया  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 23/09/22 को पेश हो। ny

23/09/22

पत्रावली केंद्र दुर्ग। शर्मा वकील उषा।  
चुंकि मूलवाद अदम पैकी अदम काफरी में  
बगरीज किया जा चुका है अब इस  
आवेदन को अगले चलावे का कोई अर्थ  
नहीं है। अतः इस आवेदन की कार्यवाही  
इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली केंद्र दुर्ग  
द्वारा है। मूलवाद के संलग्न है।



*[Handwritten signature]*